2025:CGHC:3793

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 331/2021

1– लाला उर्फ नीलेश पाण्डेय पिता प्रभा शंकर पाण्डेय, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी अस्पाताल – पारा, छाल, पुलिस थाना छाल, जिला –रायगढ़ छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः पुलिस थाना छाल, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री सिद्धार्थ दुबे, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य की ओर से	:	सुश्री मोनिका ठाकुर, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा)

बोर्ड पर निर्णय

21/01/2025

यह अपील अपीलार्थी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "द.प्र.सं.") की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत की गई है, जो कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा, जिला रायगढ़ द्वारा विशेष दाण्डिक (पोक्सो) प्रकरण क्रमांक 06/2019 में दिनांक 08.01.2021 को पारित आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु सिद्धदोष किया तथा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 2,000/– रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा से दण्डित किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 30.01.2019 को शाम लगभग 6.00 बजे पीड़ित, आयु लगभग 5 वर्ष (अ.सा.–3) अपने मित्रों के साथ अपने घर के बरामदे में खेल रहा था, उसी समय अपीलार्थी लाला उर्फ नीलेश पाण्डेय पीड़ित को जंगल की ओर सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ लैंगिंक संबंध बनाया, जिससे उसके गुदा से रक्तस्त्राव होने लगा एवं तत्पश्चात वह पीड़ित को उसके घर के बाहर छोड़कर चला गया। पीड़ित ने घटना के बारे में अपनी माता (अ.सा.–5) को बताया

तथा जब उसके पिता शाम लगभग 6.30 बजे आए, तो उन्होंने आसपास के ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी और उसे ग्राम छाल के अस्पताल ले गए, जहां से उसे खरसिया अस्पताल ले जाया गया। आवेदक के विरुद्ध थाना खरसिया में लिखित रिपोर्ट प्र.प.–1 दर्ज की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.प.–2) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 व 4,6 पोक्सो अधिनियम, 2012 के दण्डनीय अपराध के अधीन दर्ज की गई। नोटिस प्र.पी. 5 देने के उपरांत, पीड़ित का सिविल अस्पताल खरसिया में चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, जहां डॉ. सौरभ अग्रवाल (अ.सा.–7) ने पीड़ित का परीक्षण किया एवं अभिमत दिया कि पीड़िता को लगी चोटें लैंगिक हमला के कारण आई हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 24/2019 में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.–3 दर्ज किया गया। नजरी नक्शा तैयार किया गया और साक्षियों के कथन दर्ज किए गए और अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया। अपीलार्थी का भी चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और अपीलार्थी के अंतरवस्त्र को प्र.पी.–8 के द्वारा जब्त किया गया। विद्यालय दाखिल खारिज पंजी को प्र.पी.–9 के द्वारा जब्त किया गया और पीड़िता के रक्तरंजित जींस, अंडरवियर और टी–शर्ट को प्र.पी.–12 के अन्तर्गत जब्त किया गया। पीड़ित का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दर्ज किया गया तथा अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी पर उपरोक्त आरोप विरचित किए गए, जिसमें उसने आरोपों को अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन ने अपना प्रकरण साबित करने के लिए 11 साक्षियों का परीक्षण कराया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध विरचित आरोपों अस्वीकार किया एवं प्रकरण में स्वयं को निर्दोष एवं झूठे फंसाए जाने का अभिवाक किया।

4. पक्षकारों के सुनवाई के पश्चात, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध कारित करने हेतु सिद्धदोष एवं दण्डित किया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्त का तर्क है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि अनुचित थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है तथा साक्ष्य का पूर्णतः त्रुटिपूर्ण विवेचन किया गया है और अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है और कथित अपराध के संबंध में अपीलार्थी की संलिप्तता स्थापित नहीं की गई है और न ही अभियुक्त/दोषी अर्थात अपीलार्थी की पहचान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के दण्डनीय अपराध के संबंध में वर्तमान प्रकरण में अपराधी के रूप में स्थापित की गई है। अपीलार्थी की ओर से यह भी व्यक्त किया गया है कि इस प्रकरण में सात वर्ष के बालक के साक्ष्य पर विश्वास करना अनुचित है और यह तथ्य कि अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया है।

उनके अनुसार, अपीलार्थी एक युवा व्यक्ति है और यह उसका पहला अपराध है, अतः अपीलार्थी दोषमुक्ति का पात्र है।

6. दूसरी ओर उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्त ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश उचित व न्यायसंगत है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अवयस्क बालक का दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के कथन न्यायालय में दिए गए उसके कथन के अनुरूप है जो अपीलार्थी के विरुद्ध घटना के संबंध में प्र.पी.–1 के दर्ज की गई शिकायत में सभी भौतिक विवरणों के अनुरूप भी है। जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित रुप से अभिनिर्धारित किया है, अभियोजन के कथन पर केवल अतः अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि पीड़ित (अ.सा.–3) अर्थात अवयस्क बालक ने अपने साथ हुए लैंगिक हमले की घटना का वर्णन किया था।

7. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभिलेखों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि मुखबिर और पीड़ित ने अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है और अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य ठोस, भरोसेमंद, विश्वसनीय व संभावित हैं, अतः दोषसिद्धि के संबंध में निष्कर्ष की संपुष्टि की जाती है। प्रकरण के साबित तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी ने लगभग 7 वर्ष की आयु की पीड़ित के साथ लैंगिंक संबंध बनाए एवं उसे रक्तस्राव होने लगा। अधिनियम की धारा 6 को सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत किया गया है:

> धारा 6 : **गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड––**(1) जो कोई, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा।
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, पीड़ित के चिकित्सा व्ययों की पूर्ति और पुनर्वास के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।]

9. वर्तमान प्रकरण में, पीड़ित बालक (अ.सा.–3) सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। अभियोजन का प्रकरण पीड़ित के साक्ष्य के इर्द–गिर्द घूमता है। पीड़ित के साक्ष्य के विश्लेषण के बाद विचारण न्यायालय ने पाया कि यह विश्वसनीय और भरोसेमंद है। इस अपील में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कई आधारों पर

पीड़ित के साक्ष्य को प्रस्तुत किया है। इस पृष्ठभूमि में, पीड़ित के साक्ष्य की जांच एवं पुनर्विवेचन करना आवश्यक है।

10. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, पीड़ित (अ.सा.–3) के साथ लैंगिंक संबंध बनाए गए थे। अतः, यह व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है कि पीड़ित के गुदा में लगी चोटों पर गंभीर रूप से विवाद नहीं किया गया है। पीड़ित बालक, जो अपने साक्ष्य के समय 7 वर्ष का था, ने घटना का प्रत्यक्ष विवरण अभिलेख पर रखा है। उसने बताया कि दिनांक 29.01.2019 को शाम 6.00 बजे घटना घटित हुई। उसने बताया कि जब वह अपने घर के बाहर खेल रहा था, तब अपीलार्थी वहां आया और उसे जंगल की ओर ले जाकर उसके साथ लैंगिंक संबंध बनाए। उसने व्यक्त किया कि इसके बाद अपीलार्थी ने उसे दबोच लिया और उसकी पैंट तथा स्वयं की पैंट भी उतार दी तथा उसके साथ लैंगिंक संबंध बनाए। उसने आगे व्यक्त किया कि इसके बाद अभियुक्त उसे उसके घर के पास छोड़ गया। उसने घटना की जानकारी अपनी माता (अ.सा.–5) को दी तथा जब उसके पिता (अ.सा.–5) आए, तो उन्हें भी घटना की जानकारी दी गई तथा आसपास के ग्रामीणों को भी इसकी जानकारी दी गई। पीड़ित को उपचार के लिए छाल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे खरसिया अस्पताल ले जाया गया। प्रकरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी तथा अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 तथा धारा 4 व 6 के अधीन अपराध दर्ज किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध पोक्सो अधिनियम दर्ज किया गया था। डॉ. सौरभ अग्रवाल (अ.सा.–7) द्वारा प्र.पी.–5 को नोटिस देने के बाद पीड़िता की चिकित्सकीय परीक्षण की गई थी, जिन्होंने कथन किया था कि लैंगिक हमला के कारण गुदा मार्ग में कई घाव हो गए थे और ऐसा कथित रूप से हो सकता है। उनकी मुख्य परीक्षा में दर्ज की गई घटना का विवरण उनके पिता (अ.सा.–5) द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों के अनुरूप है। रिपोर्ट में वास्तव में पीड़ित द्वारा मुखबिर को बताई गई घटना का विवरण शामिल है। उनके साक्ष्य और रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों में एकरूपता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. उसके प्रतिपरीक्षण के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उसने खोजी और भीषण प्रतिपरीक्षण का सफलतापूर्वक सामना किया है। उसके प्रतिपरीक्षण से ज्ञात होता है कि उसने वास्तव में अपने मुख्य परीक्षण में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को दोहराया है। उसने अपीलार्थी के बचाव के अनुरूप उसके सामने रखे गए सुझावों को अस्वीकार कर दिया है।

12. उसके प्रतिपरीक्षण के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उसने ऐसा कोई स्वीकारोक्ति नहीं दी है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसे प्रशिक्षित किया गया था। इसी प्रकार, उसने अपने मुख्य परीक्षण में दिए गए कथन को प्रभावित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति नहीं दी है। पीड़ित के पास अपीलार्थी को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। अपीलार्थी पीड़ित के पिता के साथ शत्रुता के अपने

बचाव को साबित करने में असफल रहा है। घटना के समय अपीलार्थी की आयु 22 वर्ष थी। अपीलार्थी ने पीड़ित की अल्प आयु का लाभ उठाया और उस पर हावी हो गया। उसके साक्ष्यों का संपूर्ण अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद है। यह व्यक्त करना जरूरी है कि यदि पीड़ित को प्रशिक्षित किया गया होता या उसे काल्पनिक घटना का वर्णन करने के लिए विवश किया गया होता, तो वह बचाव पक्ष के अधिवक्ता के गहन प्रतिपरीक्षण में पकड़ा जाता। अल्प आयु का बालक गलती करने के लिए बाध्य है, यदि उसे प्रशिक्षित किया गया हो या घटना का वर्णन केवल कल्पना के आधार पर किया गया हो। पीड़ित का साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि उसके साथ लैंगिंक संबंध बनाए गए थे।

13. चिकित्सा अधिकारी (अ.सा. 7) डॉ. सौरभ अग्रवाल का साक्ष्य अभियोजन के समग्र प्रकरण और पीड़ित के साक्ष्य को आश्वस्त करने वाला सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पीड़ित की दिनांक 29.01.2019 को चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और पाया गया कि लैंगिक हमला के कारण गुदा मार्ग में कई घाव थे और कथित रूप से ऐसा हो सकता है। उन्होंने कथन किया है कि चोटें 24 घंटे के भीतर लगी थीं। चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि यह पीड़ित के साथ लैंगिंक संबंध का प्रकरण था। उन्होंने कथन किया है कि इस प्रकार की चोटें अप्राकृतिक लैंगिक संबंध में संभव हो सकती हैं। इन पहलुओं पर, चिकित्सा अधिकारी से प्रतिपरीक्षण किया गया । चिकित्सक ने इस सुझाव से इनकार किया है कि पीड़ित का चिकित्सा रिपोर्ट में उल्लिखित गुदा चोटें, तब हो सकती हैं, जब कोई व्यक्ति खेलते समय स्टंप या पत्थर पर गिरता है। पीड़ित का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्र.पी.–25 पर है। पीड़ित ने चिकित्सक को हमले का इतिहास बताया। पीड़ित ने हमले का इतिहास बताते हुए स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ लैंगिंक संबंध बनाए और इस घटना के पश्चात, वह घर आया और अपनी माता को घटना के बारे में बताया। चिकित्सक ने पीड़ित के परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर एक स्पष्ट अभिमत दिया है और इस साक्ष्य को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। चिकित्सक (अ.सा.–7) एक स्वतंत्र साक्षी है और उसके पास मिथ्या रिपोर्ट देने का कोई कारण नहीं था। चिकित्सक का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण संपुष्ट साक्ष्य है। पीड़ित का साक्ष्य चिकित्सा अधिकारी (अ.सा.–7) के साक्ष्य से पूर्णतः संपुष्ट हो चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. विचार करने योग्य तथ्य यह है कि ऐसे प्रकरण में दोषसिद्धि केवल पीड़ित के साक्ष्य पर आधारित हो सकती है। किसी स्वतंत्र संपुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अपराध के पीड़ित को आहत साक्षी के समान माना जाता है। पीड़ित को साथी के समान नहीं माना जा सकता। अतः, भौतिक विवरणों में संपुष्टिकरण पर बल नहीं दिया जा सकता। न्यायालय को साक्ष्य की गुणवत्ता देखनी है, मात्रा नहीं। ऐसे अपराध में स्वतंत्र साक्षी शायद ही कभी उपलब्ध होता है। पीड़ित ने व्यक्त किया है कि अपीलार्थी उसे एकांत स्थान अर्थात जंगल में ले गया तथा अपराध कारित किया।

15. पीड़ित का आचरण स्वाभाविक था। घटना के पश्चात वह घर गया एवं अपनी माता, पिता तथा आस–पास के ग्रामीणों को घटना के बारे में बताया। उसके माता–पिता (अ.सा.–4 और 5) का आचरण भी सुसंगत है। उनके साक्ष्य ने पीड़ित के कथन की संपुष्टि की।

16. न्यायालय को साक्ष्य की गुणवत्ता देखनी है, न कि साक्ष्य की मात्रा। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद है। साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से हुई है। इस साक्ष्य के आधार पर अभियोजन ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप साबित कर दिया है।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध सोनू कुशवाह** के प्रकरण में **दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1633/2023** में दिनांक **5.07.2023** के अपने आदेश के अन्तर्गत निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> 9. आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 16 में दर्ज निष्कर्ष पर विचार करते हुए, स्पष्ट रूप से इस प्रकरण में, उत्तरवादी ने गुरुतर लैंगिक हमला का अपराध किया है क्योंकि उसने बारह वर्ष से अल्प आयु के बालक पर लैंगिक हमला किया है। इस प्रकरण में धारा 5 का खंड (ड़) लागू होता है।
>
> 10. धारा 6, 16 अगस्त 2019 को इसके प्रतिस्थापन से पहले लागू थी, निम्नानुसार थी:
>
> "6. गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का दण्ड – जो कोई भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, उसे कम से कम दस वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, परंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माना भी दायी होगा।" अपराध की तारीख से, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के अपराध के लिए दस वर्ष का कठोर कारावास न्यूनतम दण्ड था। 16 अगस्त 2019 से, न्यूनतम दण्ड बढ़ाकर बीस वर्ष कर दिया गया है। यद्यपि, संशोधित प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होगा क्योंकि घटना 16 अगस्त 2019 से पूर्व हुई है।
>
> XXXX XXXX XXXX
>
> 12. पोक्सो अधिनियम को विभिन्न प्रकार के बाल अपराधों के लिए अधिक कठोर दण्ड प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था और इसीलिए पोक्सो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 4, 6, 8 व 10 में बालकों पर लैंगिक हमलों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम दण्ड निर्धारित किए गए हैं। अतः, धारा 6, अपनी स्पष्ट भाषा में, न्यायालय को कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ती है और विचारण न्यायालय द्वारा की गई न्यूनतम दण्ड को लागू करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। जब कोई दंडात्मक प्रावधान "इससे कम नहीं होगा ..." वाक्यांश का उपयोग करता है, तो न्यायालय धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और कम दण्ड नहीं दे सकते हैं। न्यायालय ऐसा करने में शक्तिहीन हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो जो न्यायालय को कम दण्ड देने में सक्षम बनाता हो। यद्यपि, हमें पोक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला। अतः, इस तथ्य के बावजूद कि उत्तरवादी उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित दण्ड भुगतने के बाद जीवन में आगे बढ़ गया है, उसके प्रति कोई नरमी दिखाने का प्रश्न ही नहीं है। इस तथ्य के अतिरिक्त कि विधि न्यूनतम दण्ड का प्रावधान करता है, उत्तरवादी द्वारा किया गया अपराध बहुत ही भयानक है जिसके लिए बहुत कठोर दण्ड की आवश्यकता है। पीड़ित बालक के मन पर घृणित कृत्य का प्रभाव आजीवन रहेगा। इसका प्रभाव पीड़ित के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालना तय है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित की आयु बारह वर्ष से कम थी। अतः, हमारे पास उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने तथा विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

13. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इस स्तर पर यह व्यक्त करना आवश्यक है कि इस प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध पोक्सो अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अनुमान भी लागू होगा। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन के प्रकरण के मूल तथ्यों को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। मूल तथ्यों के प्रमाण के दृष्टिगत अनुमान का खंडन करने का दायित्व अभियुक्त पर था। अपीलार्थी ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अनुमान का खंडन करने के लिए अपना बचाव करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया कृत्य अत्यंत निंदनीय है। अपीलार्थी ने अपनी हवस को संतुष्ट करने के लिए पीड़िता की अल्प आयु का लाभ उठाकर 5 वर्ष की नन्हीं बालक के साथ बलात्कार किया और लैंगिंक संबंध बनाए जो कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। यह अपीलार्थी की मानसिकता को दर्शाता है। अपीलार्थी ने पीड़िता को अपने साथ बहला–फुसलाकर ले गया। अभियुक्त ने अपने ऊपर विश्वास और भरोसे का दुरुपयोग किया। अभियुक्त ने पीड़ित को बलपूर्वक अपने कब्जे में लेकर उसके साथ लैंगिंक संबंध बनाए। यह पीड़ित के साथ अपीलार्थी द्वारा किया गया अमानवीय और शैतानी कृत्य था। पीड़ित के मन पर जो दाग लगा है, वह हमेशा के लिए रह जाएगा। उसे मिटा पाना उसके लिए संभव नहीं होगा।

उसे जीवन भर इस दाग और आघात को ढोना होगा। बालक समाज का सबसे कमजोर वर्ग हैं और अपनी अल्प आयु के कारण उन्हें निश्चित रूप से एक लचीला साक्षी माना जाता है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक बालक अलग होता है और उसकी रुचि व बुद्धि का स्तर अलग–अलग होता है। आज की तेज गति वाली दुनिया में, जहाँ बालक मीडिया के संपर्क में आते हैं, कोई भी उनके संज्ञान के स्तर पर संदेह नहीं कर सकता। हर बालक के पास प्रकृति और उसके कृत्यों के परिणामों की पर्याप्त समझ नहीं होती है, परंतु यह उन लोगों की बौद्धिक क्षमताओं को अनदेखा नहीं सकता है जो परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और अपने विवेक में उसी की दृष्टि बनाए रख सकते हैं।

19. अपीलार्थी को दी गई अधिकतम दण्ड पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दस वर्ष का कारावास है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में अभियुक्त अर्थात् अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 3(क) के अधीन उचित रूप से सिद्धदोष किया है, जो प्रकृति के विरुद्ध लैंगिंक संबंध बनाने को दण्डनीय बनाती है, जबकि, ऊपरोक्त उल्लिखित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3(क) के अधीन वर्णित लैंगिक प्रवेशन हमला केवल उन तरीकों का वर्णन करता है, जिनके माध्यम से ऐसा प्रवेशन लैंगिक हमला किया जा सकता है, अर्थात किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी सीमा तक अपने लिंग को प्रवेश कराकर या बालक को उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए विवश कर, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 3 के अंतर्गत दण्डनीय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 के अधीन दण्डनीय नहीं है, जो अवयस्क बालक पर लैंगिक प्रवेशन हमला लैंगिक अपराध करने के समस्त तरीकों को दंडित करता है। ऊपर विमर्श किए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि इस अपील में कोई सार नहीं है। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय को यथावत रखा जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी को लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं है। अपील खारिज किए जाने योग्य है एवं तदनुसार खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur